

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव(प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3

देहरादून : दिनांक 31 दिसम्बर 2020

विषय-उत्तराखण्ड राज्य के समस्त राजकीय कार्मिकों एवं पेंशनर्स के वेतन/पेंशन से राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (State Government Health Scheme- SGHS) के अन्तर्गत अनिवार्य अंशदान कटौती किये जाने सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड राज्य के समस्त राजकीय कार्मिकों, पेंशनर्स एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों हेतु राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (State Government Health Scheme-SGHS) के अन्तर्गत चिकित्सकीय उपचार को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधायें सुलभ कराये जाने हेतु पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-688/XXVIII-4-2018-04/2008 T.C., दिनांक 14.09.2018 एवं शासनादेश संख्या-214/XXVIII(3)/20-04/2008T.C., दिनांक 04.05.2020 के क्रम में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (State Government Health Scheme-SGHS) का संचालन/क्रियान्वयन 01 जनवरी, 2021 से किए जाने के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (State Government Health Scheme-SGHS) के संचालन/क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निम्नवत् निर्णय लिये गये हैं :-

- i. राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (State Government Health Scheme-SGHS) के अन्तर्गत समस्त राजकीय कार्मिकों, पेंशनर्स एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों हेतु अंशदान की कटौती शासनादेश संख्या-214/XXVIII(3)/20-04/2008T.C. दिनांक 04.05.2020 के प्रस्तर-5 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार सम्बन्धित कार्मिक/पेंशनर के जनवरी, 2021 के वेतन/पेंशन से (जो माह फरवरी, 2021 में देय है) से सुनिश्चित की जायेगी।
- ii. ऐसे राजकीय कार्मिक एवं पेंशनर्स अथवा उनके पति/पत्नी जो कि अन्य केन्द्र अथवा राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं यथा केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना, ई0सी0एच0एस0 (भारतीय सैन्य सेवा हेतु) एवं कर्मचारी राज्य बीमा योजना इत्यादि से आच्छादित हैं, के द्वारा राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (State Government Health Scheme-SGHS) में सम्मिलित होने अथवा न होने का विकल्प स्वप्रमाणित प्रपत्रों के साथ विभागाध्यक्ष/आहरण-वितरण अधिकारी को दिया जायेगा, जिसकी सूचना विभागाध्यक्ष/आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को दी जाएगी।
- iii. चिकित्सा प्रतिपूर्ति की वर्तमान व्यवस्था दिनांक 31.12.2020 से स्वतः समाप्त समझी जाय। उक्त निर्धारित तिथि से पूर्व होने वाले समस्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों/बीजकों का भुगतान प्रशासकीय विभाग द्वारा शासनादेश दिनांक 04.09.2006 (यथासंशोधित) के प्रावधान के अनुसार सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग के आहरण-वितरण अधिकारियों द्वारा बजटीय प्रावधान के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जायेगा।
- iv. कार्मिकों के OPD से सम्बन्धित समस्त देयकों का भुगतान आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा नियमित रूप से अंशदान की कटौती की धनराशि राज्य प्राधिकरण को उपलब्ध कराये जाने पर किया जायेगा।

v. योजना लागू होने की तिथि 01.01.2021 से विभागों/संस्थाओं द्वारा चिकित्सालयों से किये गये समस्त अनुबन्ध स्वतः समाप्त हो जायेंगे।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु अपने अधीनस्थ आहरण-वितरण अधिकारियों को यथाशीघ्र निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(ओम प्रकाश)
मुख्य सचिव

संख्या- 906 (1)/XXVIII(3)/20-04/2008T.C.तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, कौलागढ़, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/राज्य नोडल अधिकारी, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, 23, लक्ष्मी रोड, देहरादून।
4. समस्त आहरण-वितरण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मुख्य/वरिष्ठ/उप कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. प्रभारी निदेशक, एन.आई.सी. उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरुणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।